न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 09 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. फुआराम पुत्र नेनीया उर्फ नेनाराम जाति मेगवाल निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर राज. । 2. चम्पाराम पुत्र नेनीया उर्फ नेनाराम जाति मेगवाल निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर राज 3. सोमाराम पुत्र स्व0 डूंगरीया पुत्र नेनीया उर्फ नेनाराम जाति मेगवाल निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर राज.।	1. समाराम पुत्र विरदाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम फुलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर राज.। 2. भवरा पुत्र विरदाराम जाति मेगवाल निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर राज। 3. शाखा प्रबंधक, एम.जी.बी. बैंक शाखा सिवाना। 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 11 / 1994 बअनवान समाराम वगैरह बनाम नेनाराम के वारीसान फुसाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.1995 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुधीर गोदारा अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 04.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 188 रकबा 26.08 बीघा, खसरा संख्या 191 रकबा 33.10 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 541/188, 543/188, 545/188, 547/188, 542/191, 544/191, 546/191, 548/191) सरहद मौजा फुलण में आई हुई है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता जैरूपजी के कब्जा काश्त की भूमि थी, तथा जैरूपजी के दो वारीशान वादीगण के पिता विरदाराम एवं प्रतिवादीगण नेनीया ही थे। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने पर 1/2–1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहकर प्रतिवादीगण हम अपीलकर्ता के विरूद्ध दावा पेश किया, जिसमें हम अपीलकर्तागण के पिता की बिना तामिल करवाये एकपक्षीय आदेश करवाया तथा दौराने दावा हमारे पिता नेनीया का देहान्त हो गया था, जिस पर हम अपीलकर्तागण मात्र कागजी पक्षकार बनाया जाकर, हमारे विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अपीलांटस के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन नहीं कर मनमानी तरंग पर उक्त अवैध अनुचित व विधि विरूद्ध आदेश पारित कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर छल व कपट से तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 04.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 188 रकबा 26.08 बीघा, खसरा संख्या 191 रकबा 33.10 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 541/188, 543/188, 545/188, 547/188, 542/191, 544/191, 546/191, 548/191) सरहद मौजा फुलण में आई हुई है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता जैरूपजी के कब्जा काश्त की भूमि थी, तथा जैरूपजी के दो वारीशान वादीगण के पिता विरदाराम एवं प्रतिवादीगण नेनीया ही थे। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने पर 1/2—1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहकर प्रतिवादीगण हम अपीलकर्ता के विरूद्ध दावा पेश किया, जिसमें हम अपीलकर्तागण के पिता की बिना तामिल करवाये एकपक्षीय आदेश करवाया तथा दौराने दावा हमारे पिता नेनीया का देहान्त हो गया था, जिस पर हम अपीलकर्तागण मात्र कागजी पक्षकार बनाया जाकर, हमारे विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अपीलांटस के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन नहीं कर मनमानी तरंग पर उक्त अवैध अनुचित व विधि विरूद्ध आदेश पारित कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर छल व कपट से तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कुनिन्दा से मिलावट कर कुट रचना के माध्यम से तामिल बताकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। जिसकी हम अपीलकर्तागण को जानकारी तक नहीं होने दी, उसी दौराने दावा नेनीया जो कि तीन वर्षों से बिमार चल रहे थे, जिनका देहान्त हो गया, उक्त देहान्त के बाद हम अपीलकर्तागण को बिना कोई विधिक नोटिस जारी किये ही हमारे विरूद्ध उक्त एकपक्षीय आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जबकि प्रक्रिया विधि व राजस्व विधि के तहत खातेदार को बिना सूचित किये किसी प्रकार की डिक्री पारित करना कानूनी रूप से अशुद्ध है। अदालत मातहत ने उक्त भूमि को पैतृक बताकर घोषणा की डिक्री जारी की है, लेकिन पत्रावली में पैतृक भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य को आधार बनाकर उक्त एकपक्षीय निर्णय पारित कर, अपीलकर्तागण के साथ घोर अन्याय किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उक्त अपील निर्णय दिनांक 27.12.1995 के विरूद्ध पेश की जा रही है उक्त निर्णय की डिक्री दिनांक 27.12.1995 को जारी की गई, जब रेस्पोडेंटस द्वारा हमारी भूमि हड़पने हेतु धमकीयां देने लगे तब हमने सेटलमेंट खतौनी नकल प्राप्त की, जिसमें हमारे पिता नेनीया का ही नाम था, तब हमें संदेह हुआ जिस पर हम अधिवक्ता से मिलकर उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की जांच की तब यह जानकारी हुई कि इस वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक झुठा दावा दिनांक 07.02.1994 को पेश किया था, जिसमें हमें बिना सूचित किये ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एकपक्षीय डिक्री दिनांक 27.12.1995 पारित की गई, जिसकी नकले हमारे द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त हुई जिस पर उक्त निर्णय दिनांक 27.12.1995 की प्रथम बार जानकारी हुई। उक्त नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर मियाद पेश हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। न्यायहित में अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांटस की एकतरफा बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किये गये कि दौराने दावा नेनीया जो कि तीन वर्षों से बिमार चल रहे थे, जिनका देहान्त हो गया, उक्त देहान्त के बाद हम अपीलकर्तागण को बिना कोई विधिक नोटिस जारी किये ही हमारे विरूद्ध उक्त एकपक्षीय आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जबकि प्रक्रिया विधि व राजस्व विधि के तहत खातेदार को बिना सूचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये किसी प्रकार की डिक्री पारित करना कानूनी रूप से अशुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से किसी प्रकार सम्मन जारी किये हो ऐसे तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। मूल वाद में बंटवारा के अनुतोष चाहा गया लेकिन बंटवारा नहीं किया गया। मूल वाद के संलग्न नक्शा में भूमि अलग जगह पर मांग रहे है तथा 25.12.2010 में बंटवारा करते वक्त अलग जगह पर तरमीम की गई। अपीलाधीन अराजी का दिनांक 25.12.2010 में बंटवारा करते वक्त भी अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जैरूपा के 06 पुत्र है जिसमें मादाराम, कोजाराम, नेनीया, विरदाराम, वेनाराम व कालुराम थे, जब कि रेस्पोडेंटस ने जानबुझकर उक्त भूमि का आधा हिस्सा प्राप्त करने हेतु विरदा व नेनीया दो ही पुत्र बताये, जब कि उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट अकेले हम अपीलाकर्तागण के पिता नेनीया वल्द जैरूपा के नाम से ही दर्ज थी एवं अन्य पुत्रों के लिये जैरूपा के नाम से वक्त सेटलमेंट की भूमि ग्राम भागवा में स्थित थी। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटस/प्रतिवादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/1994 बअनवान समाराम वगैरह बनाम नेनाराम के वारीसान फुसाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.1995 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर